केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय,नई दिल्ली / Head Quarters, New Delhi
website:www.kvsangathan.nic.in
E-mail : neelam.28@gov.in, दूरभाष /Tel : 91-11-26858565
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi 110 016

F.11014-1/2026-KVS/(Admn.-I) / 30 – 35 Date:17.04.2026

उपायुक्त/निदेशक
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ZIETs

विषय: "शिकायत निवारण दिवस" (SND) के माध्यम से कर्मचारियों की शिकायतों का मासिक निवारण ।

महोदया/महोदय,

आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठनकी अध्यक्षता में दिनांक **16.04.2026** को CPGRAMS मामलों की स्थिति की समीक्षा हेतु एक बैठक आयोजित की गई थी।

आयुक्त महोदय का ध्यान शिकायतों के समय पर निवारण से संबंधित मामले की ओर आकर्षित किया गया और उन्हें अवगत कराया गया कि शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रधानाचार्यों की विभिन्न शिकायतें गंभीर रूप ले चुकी हैं,क्योंकिउनकानिवारणउचितसमयपरऔरउचितप्राधिकारीनहीं द्वाराकियाजारहाहै। निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का निवारण नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता है और सीपीग्राम पोर्टल पर शिकायतों की संख्या के साथ-साथ अदालती मामलों की संख्या भी वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च स्तरीय अधिकारियों का अमूल्य समय बर्बाद होता है।

आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को "शिकायत निवारण दिवस (एसएनडी)" मनाया जाता है। आयुक्त महोदय ने निर्देश दिया कि शिकायतों का निवारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ऑनलाइन किया जाना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

शिकायत निवारण दिवस पर सामान्यतः संबंधित क्षेत्र के उपायुक्त उपस्थित होंगे । अपरिहार्य परिस्थितियों में सहायक आयुक्त/प्रशासनिक अधिकारी (उपायुक्त द्वारा नामित क्षेत्रीय शिकायत निवारण अधिकारी) कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करेंगे ।

उपरोक्त जानकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी कंद्रीय विद्यालयों में कार्मिकों की जानकारी के लिए परिचालित की जानी चाहिए।

भवदीय.

(नागेंद्र गोयल)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:-

1. निजी सहायक, आयुक्त, केविएस(मु0)
2. निजी सहायक, अपर आयुक्त (प्रशासन/शैक्षिक) केविएस(मु0)
3. संयुक्त आयुक्त (वित्त/शैक्षिक/प्रशिक्षण/कार्मिक) केविएस(मु0)
4. उपायुक्त (वित्त/शैक्षिक/प्रशिक्षण/प्रशासन)
5. सहायक आयुक्त (सूचना प्रकोष्ठ) केविएस वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

Scanned with OKEN Scanner